रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933

No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2012

सा.का.नि. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल अभिप्रेत है।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से नियुक्ति प्राधिकारी या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) चिकित्सा प्रवर्ग "शेप" केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में हैं।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम.**—पोषक श्रेणी के व्यक्तियों को, उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सेवा पात्रता की अवधि पूरी करने से पहले उनकी ज्येष्ठता के क्रम में अर्हक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भेजा जाएगा और बल के ऐसे प्रत्येक सदस्य के लिए, किसी प्रोन्नति से पूर्व, इससे उपाबद्ध अनुसूचियों में निर्दिष्ट प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य कारणों से ऐसा कोई सदस्य प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है तो वह बल के सदस्य को ऐसे सदस्य द्वारा प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के अध्यधीन प्रोन्नत कर सकता है जिसके न हो सकने पर उसे प्रतिवर्तित किया जा सकेगा।